वन विभाग, उत्तराखण्ड

विधिक सहायता (Legal Support) हेतु विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–623/X–1–2019–14(06)/2000A दिनांक 11.03.2019 के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 अधिकरणों में वन विभाग और उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित चल रहे वादों में विधिक सेवायें प्रदान करने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से दिनांक 31.05.2025 के अपरान्ह 05:00 बजे तक ई–मेल (nodallegalcell.uk@gmail.com) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप वन विभाग की वेबसाईट www.forest.uk.gov.in/recruitment पर उपलब्ध है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

वन विभाग उत्तराखण्ड।

विधिक सहायता (Legal Support) प्रदान किये जाने हेतु ''बार काउंसिल'' से पंजीकृत अधिवक्ताओं को संविदा के आधार पर आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति/विस्तृत सूचना।

1- **पदों की संख्या**— 01 (एक) (पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है)

2- **आयु**— अधिकतम 40 वर्ष (01—07—2025 को)

3- **शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव**—

i. आवेदक अधिवक्ता के पास ''बार काउंसिल ऑफ इण्डिया'' द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिये।

ii. भारत के किसी भी राज्य के ''बार काउंसिल'' में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।

iii. अधिवक्ता के रूप में ''प्रैक्टिस'' करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, जिसमें न्यूनतम 02 वर्ष मा0 उच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुभव हो।

iv. अंग्रेजी व हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान एवं Drafting Skills होना आवश्यक है।

4- **नियुक्ति की प्रकृति एवं समयावधि** — अधिवक्ता की नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है तथा 11 माह के लिये है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर शासकीय अनुमति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकता है।

5- **मानदेय**— चयनित अधिवक्ता को प्रतिमाह रू0. 50,000/— (रूपये पचास हजार मात्र) मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

6- **आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाये जाने आवश्यक हैं** —

i. बायोडाटा।

ii. हाईस्कूल को प्रमाण पत्र

iii. विधि स्नातक का प्रमाण पत्र।

iv. ''बार कांउसिल'' द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

v. ''बार कांउसिल'' और ''बार एसोसिएशन'' द्वारा जारी फोटो आई0डी0 आदि।

vi. ''बार एसोसिएशन'' द्वारा जारी अनुभव (न्यूनतम 05 वर्ष का) प्रमाण पत्र।

vii. मा0 उच्च न्यायालय अथवा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनमें आवेदनकर्ता/अधिवक्ता का नाम अंकित हो।

7- **नियुक्ति की प्रक्रिया**—

i. इच्छुक अधिवक्ता को विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन के प्रारूप में ही आवेदन करना होगा, जो विभाग की ''वेबसाईट'' पर दिया गया है। आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2025 के सांय 05:00 बजे तक केवल ई—मेल (nodallegalcell.uk@gmail.com) के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

ii. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सभी अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग—1 के पत्र संख्या—623/X—1—2019—14(06)/2000A दिनांक 11.03.2019 में उल्लिखित निर्देशानुसार प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक— 1494/29—3(3) दिनांक 26.03.2019 द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में की जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके लिये सम्बन्धित अभ्यर्थी को कारण बताया जाना आवश्यक न होगा।

iii. साक्षात्कार के समय आवेदकों को अपने सभी मूल प्रमाण–पत्र दिखाने होंगे।

iv. ''प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड / मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, देहारादून को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये नियुक्ति की प्रक्रिया को निरस्त कर सकेंगे।

8- **विधिक सहायता हेतु रखे गये अधिवक्ताओं के दायित्व –**

i. नियुक्त अधिवक्ताओं को वन विभाग द्वारा दिये जाने वाले सभी मामलों में विधिक सहायता / सलाह प्रदान करनी होगी।

ii. मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण सहित अन्य न्यायालयों / अधिकरणों में विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र तैयार करना, अन्य साक्ष्यों का संकलन कर पैरवी करना अथवा पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ताओं को वांछित सहायता प्रदान करना। सभी वैधानिक कार्यवाहियों का रिकार्ड रखना व अन्य विधि सम्बन्धी कार्य, जो उन्हें सौंपे जायेंगे, को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करना होगा।

iii. नियुक्त अधिवक्ता को पूर्णकालिक आधार पर सेवायें देनी होंगी और वे अनुबन्ध की अवधि में अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लिप्त न हो सकेंगे।

iv. किसी भी अन्य जानकारी के लिये कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, देहरादून मोबाईल नम्बर– 9411911119 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ,
'वन मुख्यालय, पंचम तल, 85– राजपुर रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषयः– **विधिक सहायता (Legal Support) हेतु आवेदन पत्र।**

महोदय,

आपकी विज्ञप्ति संख्या....................दिनांक........................के क्रम में संविदा के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु मैं अपना आवेदन–पत्र बायोडाटा के साथ आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

बायोडाटा

1- नाम –

2- पिता/पति का नाम –

3- जन्म तिथि –

4- मोबाईल नम्बर –

5- ई–मेल आई0डी0 –

6- पत्र व्यवहार का पता –

7- स्थाई निवास –

8- पैन नं0 –

9- आधार नं0–

10- शैक्षिक योग्यता का विवरण (हाई स्कूल एवं उससे ऊपर)–

11- बार काउंसिल में पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक

12- विधि व्यवसाय का अनुभव (कब से और किस तरह के वादों का अनुभव रखते हैं)

13- कोई अन्य योग्यता, यदि हो –

घोषणा

मैं................................एतदद्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनायें सत्य हैं एवं इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और मुझे कभी भी ''बार कांउसिल'' द्वारा दण्डित नहीं किया गया है और न ही मुझ पर ''प्रोफेशनल मिसकण्डक्ट'' का कभी कोई आरोप लगा है और न ही कभी किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी मामले में दण्डित किया गया है। मेरे द्वारा दी गयी सूचना यदि भविष्य में कभी भी गलत/असत्य पाई जाती है और उसके क्रम में मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक

अधिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रैक्टिस का पता–

निवास पता –

संलग्नक– बायोडाटा में उल्लिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां।